राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक एफ.वी.29(2)(1)स्था/ब–1/2011/पार्ट–II/ दिनांक : 28.08.2018

नियुक्ति आदेश

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवानियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क–2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(2) कार्मिक (क–2) 05 दिनांक 20.01.2006 एंव वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6) वित/नियम/05 दिनांक 13.03.2006,प.16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प.6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प16(5)वित्त/नियम/98 दिनाक 13.03.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(5)DoP/A-2/17/दिनांक 15.05.2018 एंव समय–समय पर हुए विभिन्न संशोधनो के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 के नियम 16 की अनुसूची IV, एवं अधिसूचना संख्या एफ.15(1)एफडी(रूल्स) /2017, दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत वाहन चालक के पद पर लेवल 5 पे मेट्रीक्स 20800–65900 में कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी (Probation Trainee) के रूप में रूपये 14600/– प्रतिमाह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर पर गैर अनुसूचित क्षैत्र के निम्न अभ्यार्थियों का पदस्थापन निम्न शर्तो पर किया जाता है :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चालचलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात ही कार्यग्रहण किया जा सकेगा।
3. विवाहित अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ''विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र'' एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात सन्तान संबंधी रू 50/–के नॉन–ज्यूडिशीयल स्टाम्प पर घोषण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. परीविक्षाकाल में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. उक्त परीविक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। परिविक्षा प्रशिक्षण अवधि मे अन्य सुविधा या अवकाश राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगे। 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें वाहन चालक पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य नियमानुसार भत्ते देय होगें।
6. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प13(1)एफ.डी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.04 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एंव अन्य आदेश जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एंव सेवा लाभ देय होगें।
7. संबन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते है कि उनके अधीन कार्यग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों से राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 नवीन चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आदि के जांच उनके मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर भलिभांति कर कार्यग्रहण करवायेंगें तथा इनकी सत्यापित प्रतियां रिकार्ड में रखेगें। किसी भी विवादाग्रस्त स्थिति में प्रकरण निदेशालय को भिजवायेगें।
8. इन अभ्यार्थियों को **आदेश प्रसारित होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि मे कार्यग्रहण करना**